क्रम संख्या—647

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०—4

लाइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०—41

(लाइसेन्सड टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 24 सितम्बर, 1986

आश्विन 2, 1908 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 1710/सत्रह वि—1-1 (क)-23-1986

लखनऊः 24 सितम्बर, 1986

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा रित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1986 दिनांक 24 सितम्बर, 1986 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 1986 के से सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1986

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 1986)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1986 कहा जायगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा सिवाय धारा 2, 4, 5 और 6 के जो दिनांक 1 अप्रैल, 1986 से प्रवृत्त हुई समझी जायगी ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1980 की धारा 15 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, में, धारा 15 में,--

(क) प्रारम्भ में आये हुए शब्द "प्रत्येक सदस्य" के स्थान पर शब्द "प्रत्येक सदस्य, चाहे वह धारा 2 के खण्ड (झ) में निर्दिष्ट किसी पद पर आसीन हो या न हो", रख दिये जायेंगे; और

(ख) खण्ड (पांच-ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्---

"(पांच -ग) उक्त भत्ता, पूर्ववर्ती खण्डों में किसी बात के होते हुए भी, धारा 2 के खण्ड (झ) में निर्दिष्ट किसी पद पर आसीन सदस्य की दशा में उसके सम्पूर्ण कार्यकाल में जिसमें वह ऐसे पद पर आसीन हो, प्रत्येक दिन के लिए देय होगा ।"

(ग) खण्ड (छः) निकाल दिया जायगा ।]

नई धारा 17-क का बढ़ाया जाना

3--मूल अधिनियम की धारा 17 के पश्चात् नये अध्याय पांच-क के अन्तर्गत निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्--

"अध्याय 5--क

सदस्यों के लिए ऋण की व्यवस्था

सदस्यों को अग्रिम

17--क राज्य सरकार किसी व्यक्ति को, जो सदस्य है, चाहे वह धारा 2 के खण्ड (झ) में निर्दिष्ट किसी पद पर आसीन हो या न हो, या जो सभा या परिषद् के सदस्य के रूप में पद पर आसीन रहा हो, या तो निवास-स्थान का निर्माण या क्रय करने के लिये या वाहन-क्रय करने के लिये ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अनुसार जैसी विहित की जाय, एक लाख रुपये से अनधिक प्रतिसंदेय अग्रिम स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था कर सकती है ।"

धारा 24 का संशोधन

4---मूल अधिनियम की धारा 24 में,--

(क) शब्द "पांच सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "सात सौ पचास रुपये" रख दिये जायेंगे;

(ख) परन्तुक में, शब्द "पचास रुपया" के स्थान पर शब्द "एक सौ रुपये" और शब्द "सात सौ पचास रुपये" के स्थान पर शब्द "एक हजार पांच सौ पचास रुपये" रख दिये जायेंगे ।

धारा 25 का संशोधन

5--मूल अधिनियम की धारा 25 में,--

(क) खण्ड (क) में, शब्द "सात सौ पचास रुपये" के स्थान पर शब्द "एक हजार पांच सौ पचास रुपये" रख दिये जायेंगे ;

(ख) खण्ड (ख) में, शब्द "सात सौ पचास रुपये" के स्थान पर शब्द "एक हजार पांच सौ पचास रुपये" रख दिये जायेंगे ;

(ग) खण्ड (ग) में, शब्द "सात सौ पचास रुपये" के स्थान पर शब्द "एक हजार पांच सौ पचास रुपये" रख दिये जायेंगे ।

धारा 26 का संशोधन

6--मूल अधिनियम की धारा 26 में, जहां-जहां भी शब्द "सात सौ पचास रुपये" आये हों, उनके स्थान पर शब्द "एक हजार पांच सौ पचास रुपये" रख दिये जायेंगे ।

धारा 28 का संशोधन

7--मूल अधिनियम की धारा 28 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायेंगी और सदैव से रखी गयी समझी जायेंगी, अर्थात्:--

"(1) जब कभी किसी सदस्य पर किसी सरकारी देय (जैसे आवास किराया या प्रभार, टेलीफोन देय, इत्यादि) के बकाया होने की सूचना दी जाय और उसके समर्थन में सम्बद्ध प्राधिकारी से समुचित मांग या बिल प्राप्त हो, और ऐसा सदस्य ऐसे देय का भुगतान न करे, तब ऐसे देय के बराबर धनराशि या जहां सरकार द्वारा किसी सदस्य को प्रतिसंदेय अग्रिम की व्यवस्था की गयी हो, वहां ऐसे सदस्य द्वारा देय ऐसे अग्रिम या उसकी किसी किस्त के बराबर धनराशि ब्याज सहित, यदि कोई हो, सचिव द्वारा ऐसे सदस्य के वेतन या यात्रा या दैनिक या प्रतिकर आवास या किसी अन्य भत्ता बिल से काट ली जायगी।

(1-क) ऐसे किसी व्यक्ति की दशा में जो सदस्य न रह जाय या जो उस समय सदस्य न हो, जब उसे सरकार द्वारा कोई प्रतिसंदेय अग्रिम दिया गया हो, उपधारा (1) में निर्दिष्ट धनराशि ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन देय पेंशन की धनराशि या किसी अन्य धनराशि से काट ली जायगी।"

आज्ञा से,
श्रीनाथ सहाय,
सचिव।

No. 1710 (2) XVII-V—1-1 (KA)-23-1986

Dated Lucknow, September 24, 1986

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vidhan Mandal (Sadasyon Ki Uplabdhiyan Aur Pension) (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 1986 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 22 of 1986), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 24, 1986:

THE UTTAR PRADESH STATE LEGISLATURE (MEMBERS' EMOLUMENTS AND PENSION) (SECOND AMENDMENT) ACT, 1986

[U. P. Act No. 22 of 1986]

(As passed by the U. P. Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) Act, 1980

It is hereby enacted in the Thirty-seventh year of the Republic of India as follows :

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Legislature (Memberse Emoluments and Pension) (Second Amendment) Act, 1986.

(2) It shall come into force at once except sections 2, 4, 5 and 6 which shall be deemed to have come into force with effect from April 1, 1986.

Amendment of section 15 of U.P. Act no. 23 of 1980

2. In the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) Act, 1980, hereinafter referred to as the principal Act, in section 15,--

(*a*) *for* the words "Every member" occurring in the beginning, the words "Every member, whether or not he holds any office referred to in clause (i) of section 2" shall be *substituted*, and

(*b*) *after* clause (v-b), the following clause shall be *inserted*, namely:—

"(v-c) The said allowance shall, notwithstanding anything contained in the preceding clauses, be payable in the case of a member holding any office referred to in clause (i) of section 2 for each day during the whole of the term in which he holds such office ;"

(*c*) Clause (vi) shall be *omitted*.

Insertion of new section 17-A

3. *After* section 17 of the principal Act, the following section shall be inserted under a new Chapter V-A ; namely :—

"CHAPTER V-A

Provision of Loan to Members

Advance to members

17-A. The State Government may provide for grant of repayable advance of a sum not exceeding rupees one lakh to any person who is a member, whether or not he holds any office referred to in clause (i) of section 2, or who has held office as a member of the Assembly or Council, either for construction or purchase of residential accommodation or for purchase of a vehicle in accordance with such terms and conditions as may be prescribed."

Amendment of section 24

4. In section 24 of the principal Act,—

(*a*) *for* the words "five hundred rupees" the words "seven hundred and fifty rupees" shall be *substituted* ;

(*b*) in the proviso, *for* the words "fifty rupees" the words "one hundred rupees" and for the words "seven hundred and fifty rupees" the words "one thousand five hundred and fifty rupees" shall be *substituted*.

Amendment of section 25

5. In section 25 of the principal Act,—

(*a*) in clause (*a*), *for* the words "seven hundred and fifty rupees" the words "one thousand five hundred and fifty rupees" shall be *substituted* ;

(*b*) in clause (*b*), *for* the words "seven hundred and fifty rupees" the words "one thousand five hundred and fifty rupees" shall be *substituted* ;

(*c*) in clause (*c*), *for* the words "seven hundred and fifty rupees" the words "one thousand five hundred and fifty rupees" shall be *substituted*.

Amendment of section 26

6. In section 26 of the principal Act, *for* the words "seven hundred and fifty rupees", wherever occurring, the words "one thousand five hundred and fifty rupees" shall be *substituted*.

Amendment of section 28

7. In section 28 of the principal Act, *for* sub-section (1), the following sub-section shall be *substituted* and be deemed always to have been *substituted*, namely :—

"(1) Where any Government dues (such as rent or charges for accommodation, telephone dues, etc.) are reported to be outstanding against a member and appropriate claims or bills in support thereof are received from the concerned authority, and such member fails to pay such dues, an amount equivalent to such dues, or where any repayable advance has been provided by the Government to a member then an amount equivalent to such advance or any instalment thereof due from such member, together with interest, if any, shall be deducted by the Secretary from the salary or travelling or daily or compensatory accommodation or any other allowance bill of such member.

(1-A) In case of a person who has ceased to be a member or a person who is not a member at the time when any repayable advance has been provided to him by the Government, the amount referred to in sub-section (1) may be deducted from the amount of pension or any other amount payable to such person under this Act."

By order,
S. N. SAHAY,
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 92 सा०(विधा०)—(1655)—1986—850 (मेक०)।